न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :–99 / 2015

कमलीबाई पुत्री प्यारा जी तेली पत्नी हीरालाल तेली मृतक के बजाय :–
1 / 1– अशोक कुमार पिता हीरालाल तेली निवासी चेची तहसील बेगूँ
1 / 2– सीताबाई पुत्री हीरालाल तेली निवासी चेची तहसील बेगूँ
वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता प्यारा तेली निवासी नयागांव तहसील बेगूँ
2. छन्दरीबाई पत्नी उदयलाल तेली निवासी नन्दवाई तहसील बेगूँ
3. मांगीबाई पत्नी मांगीलाल तेली मृतक के बजाय :–
   3 / 1–जमनालाल पिता मांगीलाल तेली नि. काका जी का अनोपपुरा तह0 बेगूँ
   3 / 2– शारदा पुत्री मांगीलाल तेली पत्नी ओमप्रकाश तेली निवासी बरून्दनी तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
   3 / 3– शांति पुत्री मांगीलाल तेली पत्नी कंवरलाल तेली निवासी झांतला तह0 सिंगोली जिला नीमच म0प्र0
   3 / 4– नर्बदा पुत्री मांगीलाल तेली पत्नी गौरीलाल तेली निवासी जाट तह0 सिंगोली जिला नीमच
   3 / 5– इन्द्रा पुत्री मांगीलाल पत्नी मुकेश तेली नि. बस्सी तह0 चितौडगढ
   3 / 6– कली उर्फ आया पुत्री मांगीलाल तेली पत्नी कैलाश तेली निवासी बेगूँ
4. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर चितौडगढ
6. श्रीमान बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चेची तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ़

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 13.04.2026

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 की पैतृक कृषि आराजी ग्राम नयागांव पटवार हल्का चेची में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
54	139	0.0650
	153	0.4050
	154	0.1860
	159	0.0890
	160	0.5430

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

165	0.2190
167	0.0320
251	0.0570
252	0.0240

कीता– 9 रकबा 1.6200 हैक्टर

यह कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई बहिन है इनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

प्यारा फोत

देवीलाल   कमलाबाई   छन्दरीबाई   मांगीबाई

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी वादिया की पुश्तैनी होकर वादिया के पिता के नाम दर्ज रिकोर्ड थी। वादिया क पिता की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कम्रचारियो की मिलीभगत करके गलत तरीके से वाद वर्णित आराजी को राजस्व रेकार्ड में अपने अकेले के नाम पर दर्ज रिकोर्ड कराली ।

यह कि वाद वर्णित कृषि आराजी वादिया एव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी कृषि आराजीयात है कानूनन पुश्तैनी आराजीयात पर सभी वारिसान का बराबर हक हिस्सा होता है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वर्णित सम्पति को अपने अकेले के नाम दर्ज रिकार्ड करा ली एवं वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य दीगर को बेचान करने की धमकिया दे रहा है।

यह क वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृिक कृषि सम्पति को नही बेचने एवं वादिया का नाम राजस्व रिकोर्ड मे अंकन कराने बाबत दिनांक 01.06.2015 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि उक्त सम्पति मेरे अकेले के नाम पर है। मै इसे बैच दूंगा इस पर वादिया ने राजस्व रिकार्ड का पता किया तो वादिया की जानकारी मे में आया कि उक्त पैतृिक सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम पर करा रखी है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वाद वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात अपने नाम पर होने से कभी भी अन्य दीगर को बेचान कर सकता है जिसे स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद फरमाने हेतु यह वाद पत्र पेश है। एवं उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक कृषि आराजी होने से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 का नाम की घोषणात्मक आज्ञप्ति एवं बाद घोषणा विभाजन कराये जाने के लिए यह वाद पत्र पेश है।

यह कि वाद कारण दिनांक 01.06.2015 को वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को तहसील कार्यालय में चलकर वादिया के हक हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मना कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी व प्रतिवादी सं. 5 राज्य सरकार होकर वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें पक्षकार बनाया गया हैं प्रतिवादी संख्या 6 के उक्त भूमि रहन होने से वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। वर्णित आराजीयात कृषि आराजी होकर ग्राम नयागांव (चेची) तह0 बेगूं में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः न्यायालय श्रीमान आप से वादिया निम्न अनुतोष प्राप्त करने की वैद्य अधिकारिणी है कि :-

1- यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादिया की पुश्तैनी कृषि आराजी जो वादिया के पिता के नाम पर अंकित है मे से वादिया का 1/4 हक हिस्से की घोषणात्क आज्ञप्ति प्रदान कराई जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करावें।

2- यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित पैतृक कृषि आराजी में वादिया का बाद घोषणा 1/4 हक हिस्से अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी) के आधार पर विभाजन कराया जाकर तदनुसार ही राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद कराया जाकर वादिया का खाता राजस्व रिकोर्ड में अलग दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

3- यह कि बाद विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिया की पैतृक कृषि भूमि में वादिया के 1/4 हक हिस्से की भूमि को न तो स्वयं दखलंदाजी करें न ही अपने किसी रिश्तेदार, नौकर , ऐजेन्ट दि से करावें।

4- यह कि वकील वादी का मेहनताना व खर्चा मुकद्मा भी वादिया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें ।

5- कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ हो वादिया को प्रदान कराया जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री ने अपना अधिकार प्रस्तुत कर जवाब दावा दावा पत्रावली मे पेश किया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा ने अपना अधिकार प्रस्तुत किया किन्तु प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 को अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 का जवाब दावा बंद किया गया।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया वह बिन्दुवार निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है:-

1- यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। इस कलम में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 के अकेले के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की है जिससे वादिया का कोई सम्बन्ध नहीं है।

2- यह कि वादपत्र की कलम सं0 2 गलत होकर अस्वीकार है। वादिया का प्रतिवादी सं0 1 से 3 के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादिया प्रतिवादी सं0 1 से 3 कि किसी प्रकार कोई रिश्तेदार नहीं है वादिया प्रतिवादी सं0 1 से 3 के परिवार के लिए एक अजनबी महिला हैं।

3- यह कि वादपत्र की कलम सं0 1 से 3 गलत होकर अस्वीकार है।

4- यह कि वादपत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है।

5- यह कि वादपत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है।

6- यह कि वादपत्र की कलम सं0 6 गलत होकर अस्वीकार है। वादिया का वाद वर्णित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

7- यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है। वादिया को किसी तरह का वाद वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 को अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने का भी वादिया को कोई अधिकार नहीं है।
8– यह कि वादपत्र की कलम संख्या 8 गलत होकर अस्वीकार है। वादिया स्वयं उसकें अभिवचन अनुसार ही जब प्रतिवादी सं0 1 या उसके पिता से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उसके द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को भूमि नाम दर्ज कराने का कोई प्रश्न नहीं उठाता है।
9– यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 9, 10, 11 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं हैं।

जवाब दावा के विशेष कथन में अंकित किया कि वादिया के स्वयं के अभिवचन के अनुसार ही वादिया का प्रतिवादी सं0 1 के पिता से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी वादिया ने विरूद्ध प्रतिवादीगण यह गलत वेग एवं मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है, जो अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादिया सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का जवाब दावा प्राप्त होने पर पत्रावली में निम्न तनकी पत्र पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :–

1–आया मौजा नयागॉव प0ह0 चेची की आराजी संख्या 139, 153, 154, 159, 160, 165, 167,521, 252 कीता–9 कुल रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि मे वादिया का 1/4 हक हिस्से की घोषणा करा पाने व बाद घोषणा 1/4 हक हिस्से अनुसार मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन करा पाने तथा तदनुसार राजसव रेकार्ड में अमल दरामद करा पाने की वादिया अधिकारी है? साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने की भी वादिया अधिकारी है?

..............वादीया

2–आया कि वादीया ने गलत वाद प्रस्तुत किया हे, वादीया को वाद लाने का अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण को उनके खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी से रोकने का अधिकार वादीया को नहीं है, वादीया के स्वयं के अभिवचन के अनुसार ही वादीया का प्रतिवादी सं0 1 के पिता से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी वादीया ने विरूद्ध प्रतिवादीगण यह गलत वेग एवं मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। वादीया न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर पाने की अधिकारी नहीं है ?

.... प्रतिवादीगण

3– दादरसी ?

तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी अशोक कुमार पिता हीरालाल तेली का व गवाह रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल धाकड, एवं पप्पूलाल पिता रामसुख खटीक का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, मुख्यपरीक्षण में वादी अशोक कुमार पिता हीरालाल ने अपने बयान कलमबद्ध कराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा प्रति परीक्षण में वादी ने वादपत्र अनुसार ही प्यारा जी के तीन लडकिया होना बताया, तथा बताया कि हमारे व देवीलाल जी के झगडा चल रहा है, मै बाडा मांग रहा हूँ और व नहीं देना चाहते है, हमारे विवाद जमीन का है, यह कहना सही है कि बाडा नया गांव में है यह कहना गलत है कि मेरे व देवीलाल जी के पास पास नया गांव में जमीन एलोट हुई हो बल्कि मेरे अकेले के हुई है। यह कहना गलत है कि नयागांव में एलोट की जमीन का हमारे विवाद चला हो बल्कि मेने जमीन बेची और उन्होने बेची जिससे ज्यादा की रजिस्ट्री करवा ली। यह जमीन कितने साल पहले बेची और उन्होने बेची जिससे ज्यादा की रजिस्ट्री हो गई मेरी वापस करवाओ तो उन्होने नहीं करवाई। इस प्रकार प्रकरण में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के बाद पत्रावली में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत किये जाने के लिए कई अवसर न्यायालय द्वारा दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2026 को दिया गया।

साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार ही करते हुए वाद वर्णित कृषि भूमि को पुश्तैनी भूमि होना एवं उसमें वादी का हिस्सा घोषणा कराने एवं बाद घोषणा विभाजन किये जाने का निवेदन करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन भी किया गया।

बहस में अधिवक्ता प्रवितादीगण ने अपनी बहस जवाबदावा अनुसार ही करते हुए वर्णित भूमि से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं होना बताया है, तथा कहा कि वादी द्वारा कलमबद्ध कराये गये बयान भी विरोधाभाषी है। दावा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया जाकर पत्रावली में दस्तावेज के का उल्लेख करते हुए उनके गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय :—</u>

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें नकल जमाबंदी मौजा नयागांव प०ह० चेची की संवत 2069 से 2072 की पेश की है जो कि प्रदर्श— 1 है जमाबंदी में अंकित आराजी संख्या 139, 153, 154, 159, 160, 165, 167, 251, 252 कीता—9 कुल रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि के खातेदार देवीलाल पिता प्यारा सा.देह खातेदार अंकित होकर रहन बैंक के अंकित हैं। यानि वाद वर्णित कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार है। प्रदर्श— 2 नक्शा ट्रेस आराजी का है। पत्रावली में प्रदर्श—3 नकल नामान्तरण संख्या 2 की है जो कि ग्राम नयागांव की आराजी का उक्त नामान्तरण प्यारा पिता नंदा तेली के फौत होने से श्री देवीलाल पिता प्यारा तेली सा.देह खातेदार के नाम पर खोला गया है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण पर रिपोर्ट की गई है कि खातेदार श्री प्यारा फोत हो चुका है उसके जायन्दा औलाद श्री देवीलाल है। वास्ते रदोबदल के नामान्तरण जारी कर सेवा में प्रेषित है।कार्यवाही बेरूनमियाद हैं। यह नामान्तरण विरासत का दिनांक 6.4.1975 को खोला जाकर तस्दीक किया गया हैं। इस नामान्तरण पर सजरा अंकित नहीं है, जो यह सिद्ध करें कि वादीया कमला पुत्री प्यारा की हो। इसी प्रकार पत्रावली में प्रदर्श— 4 नकल जमाबंदी मौजा नयागांव की संवत 2029 से 2032 की है जिसमें दर्ज आराजी 139, 153, 154, 159, 160, 165, 167, 251, 252 कीता—9 कुल रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री प्यारा पिता नंदा तेली सा.देह खातेदार अंकित किये हुए हैं। तथा जमाबंदी में विरासत से खोले गये नामान्तरण संख्या 2 का अंकन किया हुआ हैं, जो प्यारा के पुत्र देवीलाल के नाम पर हैं।

दावा पत्रावली में नकल जमाबंदी मौजा नयागांव की संवत 2032 से 2035 की पेश की है जो प्रदर्श—5 है इस जमाबंदी में भी वर्णित कृषि भूमि के खातेदार देवीलाल पिता प्यारा अंकित किये हुए हैं। पत्रावली में वादीया कमलाबाई ने परिवार राशन कार्ड की प्रति पेश की है उसमें कमलाबाई के पति का नाम हीरा अंकित है, इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्ड में भी कमला के पति हीरालाल का नाम अकित हैं। इस दावा पत्रावली में वादीया कमलाबाई की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश किया हुआ है

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

जिसमें कमलाबाई की माता का नाम सुन्दरबाई व पिता का नाम प्यारचंद अंकित है, एवं पति का नाम हीरालाल है, लेकिन यह मृत्यु प्रमाण मात्र से ही वाद वर्णित कृषि भूमि वादीया की पैतृक भूमि होना सिद्ध नहीं हो सकता है।

वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वर्ष 1975 से ही विरासत द्वारा उनके खातेदारी में दर्ज की गई है, जो कि उनके पिता प्यारा पिता नंदा तेली की मृत्यु से दर्ज हुई है, यदि वादीया प्यारा की पुत्री थी तो उन्होने विरासत से खाले गये नामान्तरण के विरूद्ध नियमानुसार अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत क्यो नहीं की ? दावा पत्रावली में दर्शाये गये सजरे को सिद्ध कराने के लिए वादीगण द्वारा कोई ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए साथ प्यारा पिता नंदा के परिवार कार्ड की नकले तथा भूमि पुश्तैनी होने का प्रमाण वादीया के दादा के नाम पर यानि नंदा के नाम दर्ज भूमि की नकल पेश करनी चाहिए थी। वर्णित भूमि प्यारा पिता नंदा की स्व अर्जित भूमि है या पुश्तैनी भूमि है यह तथ्य प्रस्तुत सभी दस्तावेज से सिद्ध नहीं होते है। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार यह वाद वर्णित भूमि वादीया व उनके वारिसान की पुश्तैनी भूमि नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार वादीया उक्त भूमि मे अपने नाम पर 1/4 हिस्से की घोषणा करा पाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पबांद कराने व विभाजन कराने का अधिकार नही रखती हैं। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से यह तनकी वादीया के पक्ष मे सिद्ध नहीं होती है। तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है जैसा कि तनकी नम्बर 1 का निर्णय जो कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर किया जाकर वादीया को वाद वर्णित कृषि भूमि में 1/4 की घोषणा कराने की अधिकारी नहीं पाया गया है तथा ना ही वर्णित भूमि का विभाजन करा पाने की अधिकारी पाया है एवं प्रतिवादी सं0 1 खातेदार होने से उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकार भी वादीया नही रखती है, साथ ही वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि होने का कोई प्रमाण इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीया द्वारा वाद पत्र मे दर्शाया गया सजरा भी अन्य ठोस सबूत एवं साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है। इस प्रकार वादीया का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने से यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती हैं।

इस प्रकार दावा पत्रावली में कायम की गई तनकी नम्बर 1 जो कि वादीगण के जिम्मे की तनकी थी को वादीगण जरिये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष में सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है। वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि के 1/4 हिस्से की घोषणा कराने व विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाने से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ